BJS
भारतीय जैन संगठना

75 आज़ादी का अमृत महोत्सव

# कार्यक्रम विवरणिका

# मिशन जल-पर्याप्त जिले

MISSION 100 WATER SUFFICIENT DISTRICTS

www.bjsindia.org

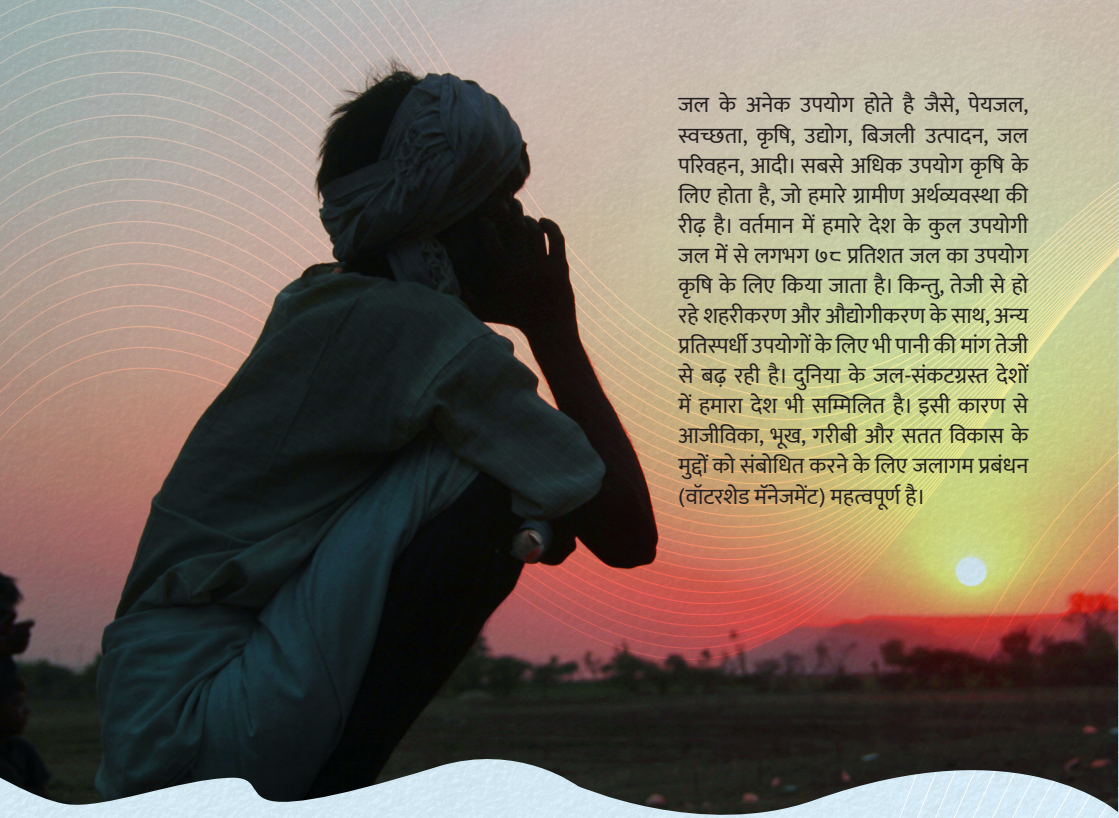

जल के अनेक उपयोग होते है जैसे, पेयजल, स्वच्छता, कृषि, उद्योग, बिजली उत्पादन, जल परिवहन, आदी। सबसे अधिक उपयोग कृषि के लिए होता है, जो हमारे ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। वर्तमान में हमारे देश के कुल उपयोगी जल में से लगभग ७८ प्रतिशत जल का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। किन्तु, तेजी से हो रहे शहरीकरण और औद्योगीकरण के साथ, अन्य प्रतिस्पर्धी उपयोगों के लिए भी पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। दुनिया के जल-संकटग्रस्त देशों में हमारा देश भी सम्मिलित है। इसी कारण से आजीविका, भूख, गरीबी और सतत विकास के मुद्दों को संबोधित करने के लिए जलागम प्रबंधन (वॉटरशेड मॅनेजमेंट) महत्वपूर्ण है।

## वॉटर इको-सिस्टम की चुनौतियां

- भूजल स्तर की बढ़ती गंभीर और अति-शोषित परिस्थिति।
- देश भर में पानी की उपलब्धता में व्यापक भिन्नता।
- पानी की मांग में तेजी से वृद्धि, जिससे कई जिलों में गंभीर स्थिति पैदा हो गई है।
- पानी के बुनियादी ढांचे का अपर्याप्त रखरखाव।
- जलवायु परिवर्तन के परिणामों से वर्षा चक्र मे हो रहे तीव्र बदलाव।

## जमिनी स्तर की चुनौतियां

- कुछ जिलों में बड़ी संख्या में जल निकाय है, जिन्हे कई प्रशासनिक विभाग नियंत्रित करते हैं। इस वजह से जलनिकायों का उचित समय पर कायाकल्प करने हेतु समग्र योजना का अभाव है।
- जल निकायों के कायाकल्प के विषय में लोगों के बीच जागरूकता की कमी और साथ-साथ इसके प्रति समुदायों की मांग का अभाव।
- जल संरक्षण और जल संसाधनों के सतत प्रबंधन में लोगों की न्यूनतम भागीदारी। किसान जलप्रबंधन के मुख्य भागीदार होते हुए भी इस कार्य में उनकी भूमिका सीमित हैं।
- कार्यालयीन प्रक्रियाओं मे देरी की वजह से कायाकल्प के काम समय पर पूरे नहीं हो पाते।
- स्थानीय स्तर की जल चुनौतियों का समाधान करने में पंचायत व्यवस्थाएं सही तरीके से सक्षम नहीं है।

**जल निकायों के कायाकल्प करने की संपूर्ण विधि का बीजेएस ने मानकीकरण किया है। इस विधि में ग्राम पंचायत और जिला प्रशासन की प्रक्रियाओं को सुचारु बनाना; पंचायत सदस्यों, किसानों और स्थानीय समुदायों का प्रशिक्षण; गाद की खुदाई; आदी सम्मिलित है। बीजेएस ने किसानों द्वारा अपने खेत में गाद का सही उपयोग करने की प्रक्रिया को भी मानकीकृत किया है जिसके परिणामस्वरूप कृषि उपज में सुधार होकर किसानों के आय में वृद्धि हुई है।**

## बीजेएस का दृष्टिकोण

जल आपूर्ति बढ़ाने तथा जल चुनौतियों का समाधान करने की गतिविधियों के पहले चरण में 'जल निकायों का कायाकल्प' करने हेतु केंद्र तथा राज्य सरकारों और जिला प्रशासनों को बीजेएस संपूर्ण सहयोग प्रदान करता है। इस माध्यम से जल निकायों की भंडारण क्षमता की वृद्धि के कार्यों में तकनीकी मापदंडों से समझौता नहीं किया जाता। जल निकायों का कायाकल्प एक विकेन्द्रीकृत, प्रभावी, समय और लागत कुशल गतिविधि साबित हुई है तथा बृहत जलागम प्रबंधन कार्यक्रमों को परिपूरक है।

'जल निकायों का कायाकल्प' कार्यक्रम जिला प्रशासन को अपेक्षाकृत कम अवधि में जल-संकट को कम करके किसानों और ग्रामीण समुदायों के लिए बेहतर जल सुरक्षा, कृषि उत्पादकता और बेहतर आजीविका प्राप्त करने में सहायता करता है।

बीजेएस ने तीन मानदंडों के आधार पर - केंद्र सरकार द्वारा घोषित जल-संकटग्रस्त जिले, आकांक्षी जिले तथा सूखा पीड़ित जिले - 'मिशन जल-पर्याप्त जिलों' का चयन किया है। जिलों का चयन होने के पश्चात, बीजेएस अपने जिला चैप्टर को जल निकायों के कायाकल्प के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु जिला प्रशासन का सहयोग करने प्रेरित कर अपने दायित्व को निभाने सशक्त बनाता है। बीजेएस जिला चैप्टर जिला प्रशासन के साथ एक समझौता ज्ञापन बनाता है। इस ज्ञापन अनुसार जिला चैप्टर अपने दायित्व स्पष्ट करता है। जिसमें, जल निकायों के कायाकल्प कार्यों प्रति जन-जागरूकता करना, इस कार्य के लिए सामूहिक मांग रखना, तथा बीजेएस के ऑनलाइन पोर्टल (APD - एपीडी) पर उपलब्ध प्रशिक्षण सामग्री का उपयोग कर हितधारकों का प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, आदी प्रमुख दायित्व रहेंगे। बीजेएस ने "एक्टिवेटिंग पंचायत्स फॉर डेवलपमेंट" (APD - एपीडी) यह ऑनलाइन प्रशिक्षण पोर्टल विकसित किया है। बीजेएस मुख्य कार्यालय अपने अनुभव, विशेषज्ञता और कार्यसिद्ध प्रक्रियाओं द्वारा जिला चैप्टर की संपूर्ण सहायता करता है। बीजेएस ने जिला स्तर पर जल निकायों के कायाकल्प कार्यक्रम के कार्यान्वयन की समग्र रूपरेखा भी तैयार की है।

## जिला स्तर पर कार्यक्रम कार्यान्वयन की समग्र रूपरेखा

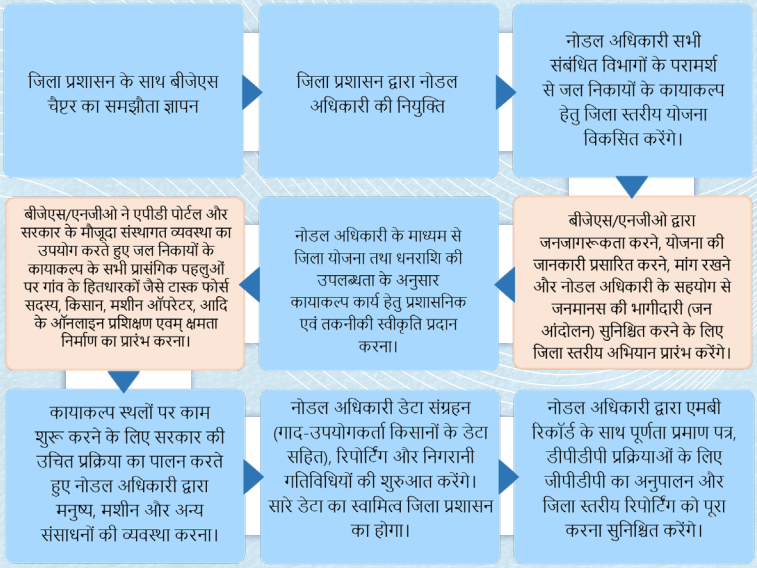


## जिला प्रशासन की भूमिका

- बीजेएस जिला चैप्टर के साथ एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन स्थापित करना।
- जिले में जल निकायों के कायाकल्प का दायित्व निर्वहन करने हेतु एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना।
- संबंधित विभागों के परामर्श से जल निकायों के कायाकल्प के लिए एक जिला योजना विकसित करना।
- बीजेएस जिला चैप्टर के दायित्व जैसे, जन जागरूकता, कायाकल्प संबंधित सरकारी योजनाओं की जानकारी पंचायतों तक पहुँचाना, कायाकल्प कार्य करने हेतु समुदायों की मांग जुटाना और जन भागीदारी सुनिश्चित करना, आदी के निर्वहन हेतु जिला अभियान का आयोजन करने मार्गदर्शन तथा सहयोग करना।
- सरपंच, ग्राम सेवक और तहसील/खंड स्तर के अधिकारियों के आधिकारिक व्हाट्सएप समूहों में बीजेएस जिला चैप्टर के प्रतिनिधियों को शामिल करना।
- APD - एपिडी पोर्टल का उपयोग कर पंचायत स्तर की वैधानिक समितियाँ जैसे पेयजल स्वच्छता समिती (VWSC) तथा अन्य हितधारकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से सक्षम बनाने हेतु बीजेएस जिला चैप्टर से सहयोग प्राप्त करना।
- सरकार की उचित प्रक्रिया का पालन करते हुए कायाकल्प कार्य के लिए पंचायत स्तर पर मशीन, डेटा संग्रहन के लिए कर्मी तथा अन्य संसाधनों की व्यवस्था करना।
- तहसील/खंड स्तर पर ऑनलाइन तथा ऑफ़लाइन माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित करने के लिए बीजेएस जिला चैप्टर की सहायता लेना। प्रशिक्षण सत्रों का आयोजन करने उपलब्ध शासकीय सुविधा तथा संस्थाओं का उपयोग करना।

## बीजेएस जिला चैप्टर की भूमीका एवम् दायित्व

जल निकायों का कायाकल्प एक सरकारी कार्यक्रम है, इसे हमेशा याद रखना जरूरी है। बीजेएस जिला चैप्टर इस योजना के कार्यान्वयन को सुगम बनाने में सहायता करेगा। जिला प्रशासन द्वारा कार्यक्रम कार्यान्वयन का दायित्व निभाने एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। बीजेएस जिला चैप्टर निम्नलिखित गतिविधियों के माध्यम से नोडल अधिकारी के साथ कार्य कर कार्यान्वयन मे संपूर्ण सहयोग करे।

- **समझौता ज्ञापन:** जिला प्रशासन के साथ एक गैर-वित्तीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें।
- **एपीडी पोर्टल का उपयोग:** कार्यक्रम के लिए सहाय्यक प्रशिक्षण सामग्री, गाइड बुक, आदी एपीडी पोर्टल पर उपलब्ध हैं। बीजेएस जिला चैप्टर से अनुरोध है कि वे पोर्टल पर उपलब्ध सामग्री से खुद को परिचित करें ताकि कार्यक्रम के कार्यान्वयन को बेहतर ढंग से सहायता प्रदान कर सकें। बीजेएस चैप्टर को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसानों सहित सभी जिला, तहसील/खंड और पंचायत स्तर के हितधारकों को एपीडी पोर्टल के महत्व से अवगत किया जाए ताकि सभी हितधारकों द्वारा पोर्टल का बेहतर उपयोग हो सकें।
- **प्रशिक्षण कार्यक्रम:** जिला कलेक्टर, सीईओ जिला परिषद, आरडीसी और नोडल अधिकारी के परामर्श से प्रशिक्षण कार्यक्रम की योजना बनाएं। इस योजना के अनुसार जिला प्रशासन/ नोडल अधिकारी सभी हितधारकों का सहभाग सुनिश्चित करने हेतु प्रशिक्षण निमंत्रण और लिंक भेजेंगे। जिला प्रशासन के पास उपलब्ध प्रशिक्षण संरचना और सुविधाओं का उपयोग करते हुए ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करना। इसके अतिरिक्त, यदि आवश्यक हो तो सरकारी प्रशिक्षण संस्थाएं जैसे राज्य ग्रामीण विकास संस्था (एसआईआरडी) तथा पंचायत राज प्रशिक्षण संस्था (पीआरटी) से समन्वय कर तहसील/खंड स्तर पर ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।
- **फील्ड स्टाफ की नियुक्ति:** जिन जिलों में कार्यक्रम कार्यान्वित किया हो, उन जिलों में जिला चैप्टर एक जिला समन्वयक तथा कार्यक्रम में चयनित प्रत्येक तहसील/ खंड स्तर पर एक तहसील/ खंड समन्वयक की नियुक्ति करेंगे। इन समन्वयकों की आवश्यकता केवल चार महीने की अवधि के लिए होगी (मार्च से जून)। यद्यपि जिले में १०-१२ तहसील/ खंड हो सकते हैं किन्तु यदि कार्यक्रम में केवल २-३ तहसील/ खंडों का चयन किया जाता है, तो केवल २-३ समन्वयकों की नियुक्ति आवश्यक होगी। यदि कार्यक्रम का अन्य तहसील/ खंडों में विस्तार होता है तो, उन्ही समन्वयकों की सेवाएं ली जा सकती है।
- **समुदाय संघटन:** जन जागरूकता करने हेतु जिला चैप्टर प्रत्येक तहसील/ खंडों में 'प्रचार रथ' के लिए एक वाहन (केवल एक/दो महीने के लिए) किराए पर लेंगे। तहसील/खंड में जन जागरूकता करने हेतु प्रचार रथ पर बैनर, स्टिकर, सार्वजनिक घोषणा प्रणाली, जिंगल, पैम्फलेट, आदी का उपयोग कर सकते हैं। जन जागरूकता का उद्देश्य जल निकायों के कायाकल्प कार्यक्रम में भाग लेने इच्छुक ग्राम पंचायतों को कार्यान्वयन प्रक्रिया समझाकर जिला प्रशासन को आवेदन सादर करने मे सहाय्य करना है।
- **सोशल मीडिया:** सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस कार्यक्रम को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाए। बीजेएस मुख्यालय में प्रोग्राम मैनेजर और मीडिया टीम के साथ अपने जिले की महत्त्वपूर्ण उपलब्धियाँ साझा करें और प्रसार के लिए उनके साथ समन्वय करें।
- **हितधारकों की भागीदारी:** बीजेएस जिला चैप्टर द्वारा पानी के लिए जन आंदोलन खड़ा करने की प्रक्रिया में पंचायत और जिला परिषद सदस्यों, विधायकों, सांसदों और मंत्रियों, सरकार के अधिकारियों, मीडिया प्रतिनिधियों, जैन समुदाय के सदस्यों, सामाजिक कार्यकर्ताओं, स्कूलों और कॉलेजों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों, सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शामिल किया जाएगा।

ऐसे हितधारकों को विभिन्न आयोजनों, बैठकों और अन्य अवसरों पर विशेष अतिथि के रूप में आमंत्रित किया जायें।

- **समन्वय:** जिला चैप्टर बीजेएस नेटवर्क और बीजेएस मुख्यालय से कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन और सहायता करने हेतु जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर बीजेएस नेटवर्क के साथ समन्वय करेंगे। इसी तरह, वे बीजेएस मुख्यालय में कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के लगातार संपर्क में भी रहेंगे।
- **आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप:** बीजेएस जिला चैप्टर के प्रतिनिधि, पदाधिकारी और कर्मचारी कार्यक्रम के सुचारु कार्यान्वयन हेतु ग्राम पंचायत, सरपंच, ग्रामसेवक, तहसील/खंड अधिकारियों के आधिकारिक व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा होंगे। इसे नोडल अधिकारी के सहयोग से सुनिश्चित किया जाएगा।

## एक्टिवेटिंग पंचायत्स फॉर डेवलपमेंट (एपीडी - APD) पोर्टल

जल संसाधन प्रबंधन में अपने दो दशकों के अनुभव के आधार पर बीजेएस ने ऑनलाइन एपीडी पोर्टल विकसित किया है। जल निकायों के कायाकल्प के लिए मानकीकृत जानकारी, सुलभ उपयोग एवम् सुस्पष्ट प्रक्रियाए इसकी विशेषता है। सभी हितधारकों तक यह सामग्री मोबाइल फोन के माध्यम से सहज पहुँचायी जा सकती है।

इनमें सभी हितधारकों से संबंधित गतिविधियाँ, भूमिकाएं एवम् दायित्व, ऑडियो-विजुअल सेल्फ-लर्निंग मॉड्यूल, सचित्र गाइडबुक, आदी तथा अधिक जानकारी हेतु ऑडियो-विजुअल प्रारूप में प्रासंगिक संदर्भ सामग्री का एक सेट भी शामिल है। यह पैकेज संबंधित राज्य सरकारों के सहाय्य से क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध कराया गया है और इसे ग्रामीण हितधारकों के उपयोग अनुकूल बनाने के लिए मोबाइल फोन द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। यह जल निकायों के कायाकल्प को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए सभी आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान करता है।

### "एक्टिवेटिंग पंचायत फॉर डेवलपमेंट (एपीडी - APD) पोर्टल" - पंचायतों को विकास कामों के लिए सक्रिय करना

## वित्त व्यवस्था

बीजेएस जिला चैप्टर को अपने-अपने जिलों में कार्यक्रम का समर्थन करने में गर्व महसूस होगा। उनके प्रयासों के कारण, जिलों में पानी की उपलब्धता में सुधार होगा, जिससे समग्र एवम् स्थायी परिणाम प्राप्त होंगे। बीजेएस जिला चैप्टर जिले के विकास में महत्वपूर्ण हितधारक हैं। आपके काम से जनमानस को बहुत सांत्वना प्राप्त होगी, यह वास्तविक जीवन में धर्म की सच्ची अभिव्यक्ति होगी।

### बीजेएस मुख्यालय की वित्त व्यवस्था :

कार्यक्रम की सहाय्यक प्रणाली विकसित करने हेतु सभी खर्च, जैसे एपीडी पोर्टल, ऑडियो-विजुअल का विकास और डिजाइन, गाइडबुक, प्रशिक्षण सामग्री, समग्र कार्यक्रम प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन (मॉनीटोरींग और ईवैल्यूऐशन), प्रभावों का अध्ययन, विशेषज्ञ सलाहकार, दिल्ली में स्थित वाटर सपोर्ट टीम, टेक्नोलॉजी, टेक प्लेटफॉर्म, मोबाइल एप्लिकेशन आदी के प्रति आवश्यक वित्त व्यवस्था बीजेएस मुख्यालय द्वारा की जाएगी। ऐसा कोई खर्च बीजेएस जिला चैप्टर द्वारा नहीं किया जाएगा।

### सरकारी संसाधनों का आवंटन:

केंद्र अथवा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित योजनाओं के माध्यम से जल निकायों के कायाकल्प के लिए पर्याप्त वित्तीय प्रावधान उपलब्ध हैं। अर्थमूविंग मशीनों के किराए, मशीनों के लिए ईंधन, मशीन संचालन और रखरखाव, मशीनों का परिवहन, ऑपरेटर, डेटा संग्रहन, प्रलेखन आदी के लिए आवश्यक वित्तपोषण इन प्रावधानों से हो सकता है। जिला प्रशासन एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति कर सभी स्तरों पर प्रशासनिक और संस्थागत कार्यों को सुनिश्चित करता है।

### बीजेएस जिला चैप्टर का वित्त जुटाना:

ऊपर उल्लेख किया गया है वैसे, कार्यक्रम की सभी प्रमुख वित्तीय आवश्यकताओं को सरकार और बीजेएस मुख्यालय द्वारा पूरा किया जायेगा। जिला स्तरीय संघटन, जागरूकता और क्षमता निर्माण के लिए होनेवाला न्यूनतम खर्च बीजेएस जिला चैप्टर द्वारा वहन किए जा सकता है। इसे पूरा करने के लिए, लागत कार्य तथा उसके स्थानिय स्तर पर धनराशि जुटाने के सुझाव नीचे दिए गए हैं।

| क्र. | लागत कार्य | स्थानिय स्तर पर धनराशि जुटाने के सुझाव |
|---|---|---|
| १ | प्रचार रथ - बड़े पैमाने पर जन जागरूकता करने के लिए बीजेएस दिशानिर्देशों के अनुसार ब्रांडिंग के साथ दो या तीन महीने के लिए एक वाहन का किराया | स्थानीय प्रायोजन जुटाकर प्रचार रथ पर प्रायोजक के नाम का उल्लेख किया जा सकता है। |
| २ | जिला स्तरीय स्टाफ - कार्यक्रम प्रबंधन हेतु एक या दो जिला स्तरीय स्टाफ | व्यवसायों, प्रतिष्ठित व्यक्तियों आदी द्वारा स्टाफ पदों के प्रायोजन के माध्यम से स्थानीय वित्तपोषण। कार्यक्रमों में प्रायोजकों के नामवाले बोर्ड, बैनर आदी का उपयोग किया जा सकता है।<br><br>स्थानीय नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सहाय्य अथवा प्रायोजन। उन्हें कार्यक्रमों में सम्मानित अतिथि के रूप में कायाकल्प कार्यक्रम के उद्घाटन आदी के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। |
| ३ | तहसील/खंड स्तरीय स्टाफ - तीन या चार तहसील/खंड स्तर पर कर्मचारी चार महीने के लिए तहसील/खंड में कार्यक्रम के समन्वय के लिए। यदि कार्यक्रम का विस्तार होता है तो वही कर्मचारी अन्य तहसील/खंड में कार्य कर सकते हैं। | |
| ४ | अन्य खर्चे - स्टाफ के अन्य खर्चे, जागरूकता सामग्री जैसे बैनर, पोस्टर आदी की छपाई और जिले में आयोजित किसी भी कार्यक्रम के लिए होनेवाला खर्च | स्थानीय नेताओं, गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सहाय्य या प्रायोजन। उन्हें कार्यक्रमों में सम्मानित अतिथि के रूप में कायाकल्प कार्यक्रम के उद्घाटन आदि के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। |

## क्या ना करे इसकी सूची

- बीजेएस अपनी नीति अनुरूप सरकारी स्रोतों से धन स्वीकार नहीं करता। इसलिए, बीजेएस जिला चैप्टर को इस कार्यक्रम को सुविधाजनक बनाने के हिस्से के रूप में जिला कलेक्टर सहित किसी भी सरकारी स्रोत से धन स्वीकार नहीं करना चाहिए।
- बीजेएस जिला चैप्टर को सरकारी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, जैसे मशीन किराए पर लेने की निविदा, डेटा संग्रहन, प्रशासनिक और तकनीकी स्वीकृति/ अनुमोदन प्रक्रिया, निगरानी, समापन प्रमाण पत्र जारी करना, एमबी रिकॉर्ड करना, आदी। साथ ही, सामान्य तौर पर कृपया सरकारी प्रक्रियाओं में हस्तक्षेप न करें, जिस से वित्तीय परिणाम हो अथवा गैर राजनीतिक संगठन के रूप में बीजेएस की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकता हो।
- विवादास्पद मुद्दों और संभावित विवादास्पद स्थितियों में पड़ने से बचें।
- कार्यक्रम के बारे में गलत जानकारी या डेटा किसी के साथ साझा न करें।

## जल निकायों के कायाकल्प के अपेक्षित परिणाम

- मनुष्य और पशुओं के लिए पेयजल, घरेलू उपयोग और कृषि के लिए जल की उपलब्धता में वृद्धि
- भंडारण में वृद्धि और भूमिजल आपुर्ती का बढ़ा हुआ दायरा
- गाद के प्रयोग से खेतों की मिट्टी में नमी की वृद्धि और फसल की उपज में सुधार
- जल संरक्षण और प्रबंधन के लिए जागरूकता और अधिक दायित्व के साथ सामुदायिक स्वामित्व
- गांव के सतत विकास में ग्राम पंचायतों का मजबूत स्वामित्व

## किसानों को लाभ

- कृषि और बागवानी फसलों के लिए जल की उपलब्धता में वृद्धि
- गाद के प्रयोग से मृदा स्वास्थ्य में सुधार, जिससे अधिक उत्पादकता तथा किसानों की आय में वृद्धि
- उनके अपने गांवों में आजीविका के विविध विकल्प

## अन्य हितधारकों को लाभ

- केंद्र/राज्य सरकार: योजनाएँ मूलकल्पना के अनुसार क्रियान्वित होगी और अपेक्षित परिणाम प्राप्त होंगे
- जिला व्यवस्था प्रणाली: कार्यक्रम का सुचारु कार्यान्वयन करने हेतु संरचनात्मक सुधार
- ग्राम पंचायत: जीपीडीपी योजना में जल निकायों के कायाकल्प को एकीकृत करने के लिए सशक्त और सक्षम पंचायत

BJS
भारतीय जैन संघटना

**भारतीय जैन संघटना (BJS)**
: ८ वा मजला, मुथ्था चेंबर्स २, सेनापती बापट मार्ग, पुणे-४११०१६.
: +91 - 20 - 6605 0000, 6605 0191
: info@bjsindia.org
: www.bjsindia.org
: bjsindia